संख्या– /VI–I/2006

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून : दिनांक 2 फरवरी, 2006

विषयः–**उत्तरांचल भ्रमण पर प्रदेश की राजधानी देहरादून पहुंच रहे विशिष्ट अधिकारी एवं विदेश से आये अतिथियों के स्वागत हेतु सांस्कृतिक कार्यकम प्रस्तुत करने एवं उत्तरांचल की समृद्धशाली पौराणिक लोक पारम्परिक संस्कृति पर आधारित 'राधा खण्डी' नृत्यगीत के फिल्मांकन हेतु धनावंटन के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1352/सं0नि0उ0/दो–03/2005–06 दिनांक– 30, जनवरी 2006 एवं पत्र संख्या–1352/सं0नि0उ0/दो–03/2005–06 दिनांक– 30, जनवरी 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्राविधानित धनराशि रू0 18.00 लाख में से उत्तरांचल भ्रमण पर प्रदेश की राजधानी देहरादून पहुंच रहे विशिष्ट अधिकारी एवं विदेश से आये अतिथियों के स्वागत हेतु सांस्कृतिक कार्यकम प्रस्तुत करने हेतु रूपये 62,000/– (रूपये बासठ हजार मात्र) एवं उत्तरांचल की समृद्धशाली, पौराणिक लोक पारम्परिक संस्कृति पर आधारित 'राधा खण्डी ' नृत्यगीत के फिल्मांकन हेतु रूपये 39250/– (रूपये उनतालीस हजार दो सौ पचास) मात्र अर्थात कुल रूपये 1,01,250/– (रूपये एक लाख एक हजार दो सौ पचास) मात्र व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधार पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मिव्ययता नितान्त आवश्यक है।

4. कार्यशाला की विस्तृत रिपोर्ट/संस्तुतियां तैयार की जायेगी व संस्कृति निदेशालय के अभिलेखों की भविष्य के उपयोग हेतु रखी जायेगी। प्रमुख संस्तुतियों को संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद के विचारार्थ रखा जायेगा। जनपदों में आयोजित होने वाले प्रस्तावित कार्यकमों का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी कार्यकमों में कलाकारों के लिए होने वाले रोजगार दिवसों के सृजन व अन्य महत्वपूर्ण विषयों का अभिलेखन किया जाएगा। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र मदवार माह मार्च तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2205 कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का सम्बर्द्धन–आयोजनागत–00–08 रंगमण्डल की स्थापना–20–सहायक अनुदान /अंशदान /राज सहायता के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

9. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1055/वित्त (व्यय–नियत्रंण) अनु0–3/2006 दिनांक–20 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या– 133 /VI-I/ 2006, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तरांचल, शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।, सचिवालय परिसर।
8. आयुक्त कुमायु/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव